

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:पं0 3(20)चिस्वा/2/2022/आईडी-20514

जयपुर,दिनांक:

निदेशक(जनस्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0जयपुर।

विषय:- डॉ फूलसिंह चौधरी, सेवानिवृत्त कनिष्ठ विशेषज्ञ (फोरन्सिक मेडिसिन) को विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

डॉ फूलसिंह चौधरी, सेवानिवृत्त कनिष्ठ विशेषज्ञ (फोरन्सिक मेडिसिन), श्री जगन्नाथ पहाडिया मेडिकल कॉलेज, भरतपुर जिनकी जन्मतिथि 11.05.1955 है तथा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर दिनांक 31.05.2015 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

निदेशालय अपने स्तर से भी अभिलेख की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें।

भवदीय,

(निमिषा गुप्ता)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
3. चिकित्सा अधीक्षक, श्री जगन्नाथ पहाडिया मेडिकल कॉलेज, भरतपुर।
4. डॉ फूलसिंह चौधरी, सेवानिवृत्त कनिष्ठ विशेषज्ञ (फोरन्सिक मेडिसिन), श्री जगन्नाथ पहाडिया मेडिकल कॉलेज, भरतपुर।
5. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.08.20 18:10:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4540352



राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चि0अ0/पी-162/2023/398 दिनांक : 04/09/23

~~प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-~~

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आदेश दिनांक 20.08.2023 के क्रम में।
3. संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग भरतपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-भरतपुर।
5. अधीक्षक मेडिकल कॉलेज भरतपुर को भेजकर लेख है कि डॉ0फूलसिंह चौधरी कनिष्ठ विशेषज्ञ (फारेन्सिक मेडिसिन) के विरुद्ध निदेशालय स्तर पर भी कोई विभागीय जाँच बकाया नहीं है, अपने स्तर पर अभिलेख की जाँच कर कार्यवाही करे।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।
7. डॉ0फूलसिंह चौधरी, सेवानिवृत्त कनिष्ठ विशेषज्ञ (फारेन्सिक मेडिसिन) द्वारा क्रम संख्या 05
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय बेसवाईटपर आज ही अपलोड करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।